सत्यमेव जयते

# भारत सरकार
# Government of India
## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
## National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं0 False Certificate/1/UP/2017/RU-I　　　　　　　　　　दिनांक: 31.01.2018

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

विषय: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिलें के ब्राह्मण नायक और ब्राह्मण ओझा जाति के व्यक्तियों द्वारा गोंड जनजाति की उपजाति बनकर फर्जी तरीके से प्रमाणपत्र बनवाकर सरकारी नौकरियाँ प्राप्त करने के संबंध में श्री अरविंद कुमार गोंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित आदिवासी जीवन ज्योति फाउंडेशन, नोएडा, उत्तर प्रदेश का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग द्वारा भेजा गया पत्र दिनाँक 03.11.2017 और 15.12.2017 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक **23.02.2018 को 3:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ सिटिंग (बैठक) में उपस्थित हों या एक अधिकारी (जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के स्तर से कम का न हो) को प्रतिनियुक्त करें जो इस प्रकरण में आपकी ओर से निर्णय लेने के लिए सम्यक रूप से अधिकृत हो। याचिकाकर्त्ता को भी सलाह दी जाती है कि वह भी सिटिंग (बैठक) में उपस्थित रहें।

4. आपसे यह भी अनुरोध है कि आपके राज्य की ओर से मामलें में लिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जाए।

908
31/1/18

भवदीय,

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

6th Floor, 'B' Wing Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003, website ::/ncst.nic.in
Tel. : 011-24657271, 011-24620638 Fax : 011-24624628, 011-24604689, Toll Free 1800117777